

एक ग्रीन पहल

प्रिय शेयरधारक,

कॉरपोरेट अभिशासन में ग्रीन पहल

सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हम उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में वार्षिक रिपोर्ट भेज रहे हैं, जिनके ई-मेल पते हमारे पास उपलब्ध हैं।

आपका बैंक चाहता है कि इस “ग्रीन पहल” में आप भी बैंक के साथ सहभागिता करें, जिससे कि बैंक आपको इलेक्ट्रॉनिक ढंग से, अर्थात ई-मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट व अन्य सूचनाएं भेज सके। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान होगा अपितु सूचनाएं भी शीघ्र भेजी जा सकेंगी और सूचनाएं भेजने में होने वाली देरी व नुकसान से बचा जा सकेगा। यदि आपके पास शेयर डीमैट स्वरूप में हैं, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपनी ई-मेल आईडी को अद्यतन करके इस पहल में हमारे साथ जुड़ें। कागजी स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपनी अद्यतन सूचना/परिवर्तन sbi.igr@alankit.com ई-मेल के माध्यम से रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स अंलिक्ट एसाइमेट्स लि. के पास भेज दें।

यद्यपि आप में से अधिकांश शेयरधारकों के पास अधिकांश डीमैट शेयर ही हैं, फिर भी कुछ शेयरधारकों के पास अभी भी कागजी स्वरूप वाले शेयर हैं। आपके पास रखे हुए कागजी स्वरूप वाले शेयरों को आसानी से डीमैट स्वरूप में बदला जा सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में। शेयरों को डीमैट बनाने के फायदे निम्नलिखित हैं :

- प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण / प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं
- कागजी स्वरूप में प्रतिभूतियां रखने से जुड़ी हुई जोखिमों में कमी, जैसे शेयरों का चोरी होना, आग, रख-रखाव में लापरवाही आदि के कारण शेयरों का नुकसान।
- डीपी के पास दर्ज पते में परिवर्तन करने से उन सभी कंपनियों के पास दर्ज आपके पते में इलेक्ट्रॉनिक ढंग से अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, जिन कंपनियों की प्रतिभूतियों में आपने निवेश कर रखा है जिससे उन प्रत्येक कंपनियों के साथ अलग से पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- प्रतिभूतियों का प्रेषण डीपी द्वारा किया जाता है, जिससे कंपनियों के साथ पत्र-व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- इक्विटी, ऋण लिखतों और सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को एक खाते में ही रखा जाता है।
- बोनस/विभाजन/समेकन/विलय आदि के मामले में डीमैट खाते में शेयर अपने आप जमा हो जाते हैं।

यदि आपके पास कागजी स्वरूप में शेयर हैं, तो कृपया डीमैट खाता खोलने के लिए अपनी पसंद की किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) (जैसे एसबीआईपैसिफिक्सियुरिटीज लिमिटेड से टोल फ्री नंबर 1800223345, ई-मेल helpdesk@sbicapsec.com) से संपर्क करें। डीमैट आवेदन फॉर्म (डीआरएफ) भरकर और उसके साथ संबंधित शेयर प्रमाणपत्र लगाकर उसे अपनी डीपी के पास भेज दें, जिससे आपके शेयरों को डीमैट में बदला जा सके। शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में बदल कर स्वतः ही आपके डीमैट खाते में जमा कर दिया जाएगा।

यदि आप लाभांश चेक के रूप में लाभांश प्राप्त कर रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने बैंक खाते का ब्योरा डीपी/आरटीए, जैसी भी स्थिति हो, के पास प्रस्तुत कर दें/अद्यतन करा लें जिससे लाभांश की राशि सीधे आपके खाते में जमा की जा सके।

हमें विश्वास है कि आपके बैंक द्वारा शुरू की गई इस “ग्रीन पहल” का आप सम्मान करेंगे और हम आशा करते हैं कि इस प्रयास में आप उत्साहपूर्वक भाग लेंगे।

शेयरधारकों का ध्यान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38ए की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2010 में दिनांक 15.09.2010 से शामिल किया गया है। उक्त धारा के अनुसार, स्टेट बैंक द्वारा धोषित लाभांश को उसकी धोषणा की तिथि से 30 दिन के अंदर किसी शेयरधारक को प्रदत्त नहीं किया गया हो, या जिसके लिए पात्र शेयरधारक द्वारा दावा नहीं किया गया हो, “अप्रदत्त लाभांश खाता” नामक एक विशेष खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त संशोधन के पूर्व की अवधि की सभी अप्रदत्त लाभांश राशि को उक्त “अप्रदत्त लाभांश खाता” में पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया है। स्टेट बैंक के अप्रदत्त लाभांश खाते में यथा उपर्युक्त ट्रांसफर की गई कोई भी राशि ट्रांसफर की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावाकृत रहती है, तो उसे बैंक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित “निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि” में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और बाद में उसका उपयोग उक्त धारा में विनिर्दिष्ट किए गए ढंग एवं प्रयोजन के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी शेयरधारकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें देय होने वाले लाभांश का उन्होंने तुरंत दावा कर लिया है।